(ग) पैट्रोलियम के आयात पर सरकार को कितनी विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है ; और

(घ) पैट्रोलियम के मामले में भारत कब तक आत्म-निर्भर हो जायेगा ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क) गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, तमिलनाडु और पांडिचेरी, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के विभिन्न भागों और देश के विभिन्न अपतटीय क्षेत्रों में पैट्रोलियम अन्वेषण कार्य चल रहा है।

(ख) सरकार ने कुछ अपतटीय क्षेत्रों से सम्बन्धित उत्पादन भागीदारी ठेके (i) रीडिंग एन्ड बेटस ग्रुप (ii) कात्स बर्ग इंडिया ग्रुप तथा आस पेरा ग्रुप की कम्पनियों के साथ किये थे। इनमें से पहली दो कम्पनियों ने पहले से ही ठेके समाप्त कर दिये हैं।

(ग) वर्ष 1977–78 के दौरान अशोधित तेल और पैट्रोलियम के आयात पर लगभग 1500 करोड़ रुपये खर्च होने की सम्भावना है।

(घ) जबकि पैट्रोलियम के अतिरिक्त देशीय संसाधनों का पता लगाने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं, वहां यह कहना सम्भव नहीं हैं कि भारत पैट्रोलियम में कब आत्म निर्भर बन जायेगा।

निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं को परिचय पत्र जारी किया जाना

*27. **श्री ईश्वर चौधरी :**

श्री सी० के० जाफर शरीफ :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मतदाता सूची को राष्ट्रीय रजिस्टर का रूप देने के लिये उसे एक मूलभूत दस्तावेज बनाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या निर्वाचन आयोग ने हाल में मतदाताओं को परिचय पत्र, जिसमें उनके नाम तथा उनके परिवारों के वयस्क सदस्यों के नाम आदि होंगे, जारी करने की घोषणा की है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में उसका ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) निर्वाचन आयोग के समक्ष ऐसा एक प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(ख) और (ग). हाल ही में नैनीताल में आयोजित मुख्य निर्वाचन आफिसरों के सम्मेलन में दिए गए सुझावों में एक सुझाव यह था कि मतदान के समय मतदाताओं के प्रतिरूपण को रोकने की दृष्टि से यह वांछनीय होगा कि प्रत्येक परिवार को अभिज्ञान पत्र दिया जाए। विचार यह था कि ये अभिज्ञान पत्र उन गणनापत्रों के स्थान पर दिए जा सकते हैं जो इस समय निर्वाचक नामावलियों के गहन पुनरीक्षण के समय परिवारों के मुखियों को दिए जाते हैं। इस सुझाव पर, खर्च, मुद्रण आदि से संबंधित समस्याओं को ध्यान में रखते हुए विचार किया जा रहा है।

वर्ष भर में हुई रेल दुर्घटनाओं की संख्या

*28. **श्री विनायक प्रसाद यादव :**

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान किन-किन स्थानों पर रेल दुर्घटनायें हुई ; उनमें कितने व्यक्ति हताहत हुए; प्रति व्यक्ति कितने मुआवजे का भुगतान किया गया।

और इन दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप रेलवे को कितनी क्षति हुई और क्या मुआवजे की धनराशि में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) रेल दुर्घटनाओं की इस संख्या की तुलनात्मक स्थिति वर्ष 1974, 1975 और 1976 की तत्सम्बन्धी अवधियों के आंकड़ों की तुलना में क्या है ; और

(ग) इन दुर्घटनाओं के लिए किन-किन व्यक्तियों को उत्तरदायी पाया गया और उन्हें क्या दण्ड दिया गया और क्या इसकी जिम्मेदारी को स्वीकार करते हुए किसी व्यक्ति ने त्याग पत्र दिया है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् अप्रैल से अक्तूबर, 1977 के दौरान टक्कर होने, पटरी से उतरने, समपार पर दुर्घटना होने और गाड़ियों में आग लगने की कोटियों के अन्तर्गत भारतीय सरकारी रेलों पर 515 गाड़ी दुर्घटनाएं हुई थीं। भिन्न-भिन्न क्षेत्रीय रेलों पर जो दुर्घटनाएं हुईं, उनकी संख्या नीचे बतायी गयी है :—

रेलवे	गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या
मध्य	55
पूर्व	31
उत्तर	48
पूर्वोत्तर	50
पूर्वोत्तर सीमा	51
दक्षिण	55
दक्षिण मध्य	48
दक्षिण पूर्व	81
पश्चिम	96
जोड़	515

इन दुर्घटनाओं में 222 व्यक्ति मारे गये और 505 घायल हुए। रेल सम्पत्ति को लगभग 2,26,09,000 रुपये की क्षति पहुंचने का अनुमान लगाया गया है।

गाड़ी दुर्घटनाओं में मारे गये व्यक्तियों के निकट सम्बन्धियों को दी गयी क्षतिपूर्ति की राशि 50,000 रुपये है। घायल व्यक्तियों के मामले में क्षतिपूर्ति की राशि किसी व्यक्ति को लगी चोट की गम्भीरता के आधार पर निश्चित की जाती है जो अधिक से अधिक 50,000 रुपये तक हो सकती है। क्षतिपूर्ति का भुगतान पदेन दावा आयुक्त/तदर्थ दावा आयुक्त, जैसा भी मामला हो, के न्यायालय के फैसले के आधार पर किया जाता है।

क्षतिपूर्ति की राशि में वृद्धि करने का कोई विचार नहीं है।

(ख) अप्रैल से अक्तूबर, 1977 की अवधि के दौरान और 1974, 1975 और 1976 की तदनुरूपी अवधि में जो रेल दुर्घटनाएं हुई, वे इस प्रकार हैं :—

अवधि	रेल दुर्घटनाओं की संख्या
अप्रैल से अक्तूबर, 1974	547
अप्रैल से अक्तूबर, 1975	637
अप्रैल से अक्तूबर, 1976	474
अप्रैल से अक्तूबर, 1977	515

(ग) जिन कारणों से अप्रैल-अक्तूबर, 1977 में दुर्घटनाएं हुईं, वे नीचे बताये गये हैं :—

1. रेल कर्मचारी की त्रुटि	263
2. रेल कर्मचारियों के अलावा अन्य व्यक्तियों की त्रुटि	54
3. रेल उपस्करों में खराबी	86
4. तोड़-फोड़	1
5. आकस्मिक	42
6. कारण मालूम नहीं हो सका	15
7. कारण को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया	54
	515

अब तक जिन मामलों में रेल कर्मचारी उत्तरदायी पाये गये और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गयी उनमें से 83 को सजा दी गयी जिनमें से 7 को बर्खास्त किया गया या सेवा से हटा दिया गया, 2 को उसी ग्रेड में पदावनत किया गया, 57 व्यक्तियों की विभिन्न अवधियों के लिए वेतन-वृद्धि रोक दी गयी, 5 व्यक्तियों का पास और पी० टी० ओ० बन्द कर दिये गये और 12 व्यक्तियों की निन्दा की गयी या चेतावनी दी गयी। किसी दुर्घटना के लिए उत्तरदायी ठहराये जाने के बाद किसी व्यक्ति ने त्यागपत्र नहीं दिया है।

रसोई गैस (कुकिंग गैस) की सप्लाई

*29. **श्री बृजराज सिंह :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रसोई गैस (कुकिंग गैस) का वितरण केवल बड़े नगरों में ही किये जाने और ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा किये जाने के क्या कारण हैं;

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों के अतिरिक्त उन छोटे नगरों में, जिनकी जन संख्या दस हजार से ऊपर है और जहां नगरपालिकाएं भी विद्यमान हैं, गैस के वितरण की क्या व्यवस्था की जा रही है; और

(ग) उपभोक्ताओं की अधिकतम संख्या निर्धारित किये बिना गैस वितरण का कार्य सौंपे जाने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) तेल कंपनियों महानगरीय तथा अन्य नगरों को वहां की मांग सम्भाव्यता, अवस्थापनात्मक सुविधाओं की उपलब्धता और इस प्रकार के क्षेत्रों में कार्य संचालनों की आर्थिक व्यवहार्यता के कारण, खाना पकाने की गैस को ऐतिहासिक रूप से विपणन करती रही हैं। तरल पेट्रोलियम गैस की सीमित उपलब्धता के कारण, इस गैस को सभी क्षेत्रों में उपलब्ध कराना संभव नहीं हो सका है। इस समय खाना पकाने की गैस की विभिन्न शोधनशालाओं से बाहर उपलब्धता यहां तक कि ऐसे क्षेत्रों/कस्बों की मांग की अपेक्षा पर्याप्त रूप से कम है जहां पर पहले से ही उपभोक्ताओं को खाना पकाने की गैस सप्लाई की जा रही है।

(ख) देश में वर्ष 1980 में खाना पकाने की गैस की उपलब्धता में आशान्वित वृद्धि होने से निम्नलिखित बातों के आधार पर यथा समय छोटे-छोटे कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में इस गैस के विपणन में विस्तार की संभावना हो सकती है:—

(i) पूर्वानुमानित उपभोक्ता की क्षमता

(ii) पूर्ति के स्थान से बाजार की समीपता